भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **3229** जिसका उत्तर

शुक्रवार, **17 दिसम्बर**, 2021/26 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाना है

जलमार्गों की व्यावसायिक व्यवहार्यता

†3229. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन को किस प्रकार व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने की परिकल्पना की गई है; और

(ख) क्या सरकार ने जलमार्ग परियोजनाओं की निगरानी के लिए राज्य सरकार के साथ कोई बैठक की है या एक समिति गठित करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): अंतर्देशीय जलमार्गों को व्यवहार्य बनाने के लिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों पर टर्मिनलों/जेट्टियों, रो-रो टर्मिनलों मल्टी मोडल टर्मिनलों के निर्माण, फेयरवे विकास एवं रखरखाव, चैनल बनाए रखने संबंधी कार्यों, नदी सूचना प्रणाली तथा नौचालन सहायताओं के प्रावधानों आदि जैसे विभिन्न उपायों पर कार्य कर रहा है। अंतर्देशीय जल परिवहन की व्यवहार्यता आईडब्ल्यूटी टर्मिनलों के इंटर-मोडल एवं मल्टी-मोडल (रेल/सडक) संपर्कता के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है।

(ख): हल्दिया से वाराणसी (1390 कि.मी.) तक राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए परियोजनाओं की निगरानी हेतु मार्च, 2019 में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के राज्य सरकारों के सदस्यों को शामिल करते हुए एक परियोजना निगरानी समिति (पीओसी) का गठन किया गया था। जून, 2019 में पीओसी की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी और तत्पश्चात आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं।

*****